शोध मंथन Vol. XI No.III July-Sept. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बाल श्रम एक ज्वलंत समस्या : कारण व निदान

डॉ0 विनोद कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
स्याना डिग्री कॉलेज, घनसूरपुर, बुलन्दशहर
Email:drvinod2414@gmail.com

सारांश

बाल श्रम की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिए काम करे बाल श्रमिक कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता– पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल श्रम के इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। कई एनजीओ समाज में फैली इस कुरीति को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन एनजीओ के अनुसार 50.2 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के सातों दिन काम करते हैं। 53.22 प्रतिशत यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इनमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरह भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 50 प्रतिशत बच्चे शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। बाल श्रम की इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया जिसके तहत बाल श्रम को एक अपराध माना गया तथा रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्श कर दी। इसी के साथ सरकार नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के रूप में बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को इस संकट से बचाना है। जनवरी 2005 में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया। आज सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई दे रही है। बच्चों के माता–पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उनके स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी।

यह माना जाता है कि भारत में 14 साल के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज़्यादा है। भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। हमारे देश में हर दस बच्चों में से 9 काम करते है। ये बच्चे लगभग 85 फीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत है। जबकि 9 फीसदी से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मती कार्यों में लगे है। सिर्फ 0.8 फीसदी कारखानों में काम करते है। आमतौर पर बाल श्रम अविकसित देशों में व्याप्त विविध समस्याओं का नतीजा है। भारत सरकार दूसरे राज्यों के सहयोग से बाल श्रम खत्म करने की दिशा में तेजी से प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज यह कहने

की जरूरत नहीं है कि इस परियोजना ने इस मामले में बहुत अहम कार्य किए हैं। इस परियोजना के तहत हजारों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। साथ ही इस परियोजना के तहत चलाए जा रहे विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास भी किया गया है। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम भी विशिष्ट होते हैं, ताकि आगे चलकर इन बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। ये बच्चे इन विशेष विद्यालयों में न सिर्फ बुनियादी शिक्षा हासिल करते हैं, बल्कि उनकी रुचि के मुताबिक व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत इन बच्चों के लिए नियमित रूप से खानपान और चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था है। साथ ही इन्हें एक सौ रुपये मासिक वजींफा दिया जाता है।

मुख्य शब्दः *बालक की वैधानिक परिभाषा, बाल श्रम उन्मूलन का प्रयास व वैधानिक प्रावधान, बाल श्रम की समितियाँ /आयोग, बाल श्रम के प्रमुख कारण, बाल श्रम पर तकनीकी परामर्श समिति, बाल श्रम उन्मूलन के संवैधानिक प्रावधान ।*

प्रस्तावना

बंधुआ श्रमिक का मामला आज भी एकदम जीवंत और सशक्त है। आज भी बेतहाशा प्रचार और धूमधाम के साथ देश में जब किसी परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा होता है। किसी जंगल में देश की किसी मुलायम या कठोर धरती के हिस्से पर कोई अभागा परिवार चुपचाप गुलामी की जंजीरों में कसता जा रहा होता है। यह रोग काफी पुराना है और आज भी काफी मजबूत रोग है। किसी भी कानून अथवा अध्यादेश ने बंधुआ श्रमिक की मदद नहीं की। राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह साबित कर दिया है कि देश में लगभग 23 लाख बंधुआ श्रमिक हैं। जब तक बंधुआ श्रमिको में चेतना पैदा नहीं होती और वे एकजुट होकर खड़े नहीं हो जाते, कोई भी उन्हें आजाद जिन्दगी बिताने का हक नहीं देगा।

बाल श्रम की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिए काम करे बाल श्रमिक कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता– पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल श्रम के इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। कई एनजीओ समाज में फैली इस कुरीति को पूरी तरह नश्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन एनजीओ के अनुसार 50.2 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के सातों दिन काम करते हैं। 53.22 प्रतिशत यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इनमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरह भावनात्मक रूप से प्रताड़ितकिया जा रहा है। 50 प्रतिशत बच्चे शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। बाल श्रम की इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया जिसके तहत बाल श्रम को एक अपराध माना गया तथा रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी। इसी के साथ सरकार नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के रूप में बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को इस संकट से बचाना है। जनवरी 2005 में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया। आज सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और

निशुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई दे रही है। बच्चों के माता–पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उनके स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी। यूनिसेफ बाल श्रम को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित करता है, जो एक बालक के लिए हानिकारक समझे जाते हैं, और घंटों की न्यूनतम संख्या को पार कर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम को बच्चे के स्वास्थ्य की क्षमता, उसके शिक्षा को बाधित करने और उसके शोषण के रूप में परिभाषित करता है।

भारत की जनगणना व बच्चे

भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में बच्चों की भी विशाल संख्या है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 6 वर्ष तक की आयु के कुल बच्चों की संख्या लगभग 16 करोड़ तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के कुल बच्चों की संख्या लगभग 19 करोड़ है। बच्चों के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे किशोर के अंतर्गत आते हैं। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या भी करीब 6 करोड़ है। जनगणना में बाल श्रम अथवा बाल श्रमिक से संबंधित मामलों की परिसीमा यह है कि जनगणना अधिकारी बाल श्रमिकों की गणना करते समय उनके द्वारा किये गये घरेलू कार्यों जैसे सफाई, खाना बनाना, पशु चराना, खेती बाड़ी के कार्यों में अभिभावकों की सहायता करना आदि कार्यों को अनुत्पादक मानते हैं। इसी कारण इन्हें बाल श्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। अन्य तथ्य जैसे कर्ज चुकाने के बदले बच्चे को गिरवी रखना, सड़क के साथ चलने वाले ढाबों पर कार्य करना ऑटोमोबाइल कार्यशालाओं तथा निर्माण कार्यों में बच्चों द्वारा किये गये अन्य कार्यों जैसे बूट–पॉलिश करना, कूड़ा छाँटना, अखबार बेचना तथा रेहड़ी लगाना आदि की भी जनगणना अधिकारियों द्वारा अनदेखी कर दी जाती है।

यह माना जाता है कि भारत में 14 साल के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज़्यादा है। भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। हमारे देश में हर दस बच्चों में से 9 काम करते है। ये बच्चे लगभग 85 फीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत है। जबकि 9 फीसदी से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मती कार्यों में लगे है। सिर्फ 0.8 फीसदी कारखानों में काम करते है। आमतौर पर बाल श्रम अविकसित देशों में व्याप्त विविध समस्याओं का नतीजा है। भारत सरकार दूसरे राज्यों के सहयोग से बाल श्रम खत्म करने की दिशा में तेजी से प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस परियोजना ने इस मामले में बहुत अहम कार्य किए हैं। इस परियोजना के तहत हजारों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। साथ ही इस परियोजना के तहत चलाए जा रहे विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास भी किया गया है। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम भी विशिष्ट होते हैं, ताकि आगे चलकर इन बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। ये बच्चे इन विशेष विद्यालयों में न सिर्फ बुनियादी शिक्षा हासिल करते हैं, बल्कि उनकी रुचि के मुताबिक व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

के तहत इन बच्चों के लिए नियमित रूप से खानपान और चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था है। साथ ही इन्हें एक सौ रुपये मासिक वजींफा दिया जाता है।

बालक की वैधानिक परिभाषा

दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (2) में कहा गया है कि एक बालक वह है जिसने 15 वर्ष की उम्र पूरी न की हो। फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 (2) में बालक को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का अनु० 45 बालक को 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप परिभाषित करता है। गार्डन वर्कर एक्ट, 1951 में बालक को 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। खनन अधिनियम, 1952 में एक बालक को 16 वर्ष से अनधिक के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं में अनैतिक तस्करी के प्रतिषेध अधिनियम, 1956 के अनुसार एक बालक 21 वर्ष से अनधिक आयु का व्यक्ति है। बीड़ी और सिगरेट श्रमिक अधिनियम (रोजगार दशाएँ) 1966 में एक बालक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी उम्र 14 वर्ष न हुई हो। किशोर न्याय (बालक के संरक्षण व ध्यान) अधिनियम, 1986 के अनुसार, एक बालक वह व्यक्ति है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

एक प्रभावशाली समाचार पत्र में बाल श्रम के अर्थशास्त्र पर अमेरिकी आर्थिक समीक्षा (1998) में कौशिक बसु और हुआंग वान का तर्क है कि बाल श्रम का मूल कारण माता पिता की गरीबी है। यदि ऐसा है तो उन्होंने बाल श्रम के वैधानिक प्रतिबंध पर आगाह किया और तर्क दिया कि इसका उपयोग वयस्क मजदूरी प्रभावित हीन पर ही करना चाहिए और प्रभावित गरीब बच्चे के परिवार को पर्याप्त रूप से मुआवजा देना चाहिए। भारत और बंगलादेश सहित कई देशों में अभी भी बाल श्रम व्यापक रूप से विद्यमान है। यद्यपि इस देश के कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नही कर सकते फिर भी कानून को नजरअंदाज कर दिया है।

बाल श्रम की समितियाँ /आयोग

श्रम पर राष्ट्रीय आयोग (1969) तथा बाल श्रम पर समिति (1981) की रिपोर्टों में भारत में बाल श्रम के कारण तथा परिणामों की जाँच की गई है। बाल श्रम संबंधी समिति की संस्तुति पर सरकार ने बाल श्रम पर विशेष केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन श्रम मंत्रालय के अंतर्गत किया। यह बोर्ड मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है तथा नये कानून व कल्याणकारी उपायों का सुझाव देता है। 1974 में भारत सरकार द्वारा बच्चों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा के बाद 1975 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव पारित होने के साथ ही एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड का भी गठन किया गया था जिसका उद्देश्य बच्चों की समस्याओं के बारे में चेतना जागृत करना, कल्याण, प्रोत्साहन तथा बच्चों के लिए चल रहे शैक्षणिक तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ ही उनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। 14 अगस्त, 1987 को भारत सरकार की 'बच्चों पर राष्ट्रीय नीति' में इस बात पर बल दिया गया था कि बच्चे देश की सबसे महत्त्वपूर्ण और कीमती संपत्ति हैं। देश ही उनकी 'देखरेख और विकास' के लिए जिम्मेदार होगा। यह भी कहा गया है कि मानव संसाधन विकास के लिए बनाई जाने वाली

राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में एक स्वस्थ नागरिक की भूमिका का निर्वहन कर सकें। बच्चों के लिए निर्धारित किया है कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि अनुच्छेद–21 के अधीन शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले (1992) में भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में रुपांतरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 रूबाल श्रम (निषेध और विनियमन) नियमों, 1986 के तहत सौंपे गये शक्तियों के प्रयोग करने के साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियमों, 1988 को प्रारूपित कियागया। इन नियमों में बात श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में प्रयुक्त शब्दों जैसे 'अधिनियम', 'समिति', 'चेयरमैन', 'स्वरूप', 'रजिस्टर', 'अनुसूची', 'धारा', आदि का आशय स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम से आशय 'बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 से है। समिति का आशय बाल श्रम तकनीकी परामर्श समिति से है। चेयरमैन का आशय अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 में नियुक्त किये गये व्यक्ति से है। रजिस्टर का आशय अधिनियम की धारा 11 के तहत आवश्यक समझे जाने वाले रजिस्टर से है। इस प्रकार इस नियम (1988) का प्रमुख उद्देश्य 1986 के अधिनियम को विनियमों के संदर्भ में अधिक स्पष्ट व सारगर्भित बनाना था।

बाल श्रम के प्रमुख कारण

सामंतवादी, जमींदारी प्रणाली व उसके आज के बचे अवशेषों ने बाल श्रम की समस्या को निरंतरता प्रदान की है। निर्धनता, बेरोजगारी जैसी स्थिति ने विभिन्न ग्रामीण परिवारों को बालकों के विभिन्न कार्यों में नियोजन हेतु आधार प्रदान किया है।

1– अशिक्षा, असाक्षरता और इसके चलते अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव की स्थितियों ने भी बाल श्रम को बढ़ावा दिया है।

2– संयुक्त परिवार की संस्कृति व पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों ने स्वैच्छिक स्तर पर बाल श्रम की समस्या को बढ़ाने में काफी हद तक भूमिका निभायी है।

3– वैश्वीकरण, निजीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के साथ सस्ते श्रम की आवश्यकता व बच्चों की आर्थिक जरूरतों के मध्य संपर्क से बाल श्रम को बढ़ावा दिया है।

4– ठोस स्तर की राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय नियमों व कानूनों के अभाव के चलते बाल श्रम की समस्या बनी हुई है।

बाल श्रम का प्रभाव

बाल श्रम के चलते व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसीलिए 'एगमार्क' जैसे बाल श्रम के मानक अस्तित्व में आये। बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास व क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव। कुपोषण, बाल अपराध, संस्कारहीनता जैसी अनेक समस्याएँ बाल श्रमिक की मानसिकता से ही जुड़ी हुई है। शिक्षा प्राप्त करने व भारत के

ज्ञान समाज की स्थापना के मार्ग में अवरोधक। राष्ट्रीय सेंपल सर्वे संगठन के अनुसार, भारत का प्रत्येक चौथा बालक बाल श्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। बाल श्रम व उसकी निरंतरता ने पारिवारिक मूल्यों में अवनति को बढ़ावा दिया है। बाल श्रमिकों के शोषण (यौन शोषण) पोर्नोग्राफी में उन्हें अभिकरण बनाया जाना ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर गंभीर विचार करना आवश्यक है।

बाल श्रम पर तकनीकी परामर्श समिति

बाल श्रम तकनीकी परामर्श समिति का गठन बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के प्रावधानों से संगति रखते हुए गठित किया गया है। इस समिति का प्रमुख कार्य बाल श्रम के संदर्भ में रोजगार एवं प्रक्रियाओं के मामले में केन्द्र सरकार को परामर्श देना है। इस समिति में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष व 10 अन्य सदस्य होते हैं। कुछ अन्य प्रयास 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोश की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये कोश में जमा कराने का प्रावधान है। ध्यातव्य है कि इस प्रावधान की पृष्ठभूमि एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य बाद में बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में भी सुधार के के निर्देश दिये। बालक अधिक संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ने बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के गठन का प्रावधान किया। इस कानून को बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे–होटलों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसॉर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

बाल श्रम उन्मूलन के संवैधानिक प्रावधान

बाल श्रम की समस्या से निपटने के अलावा बालकों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए भारतीय संविधान में निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं, जिनका समय–समय पर पुनरावलोकन भी किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान है।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसार संविधन में एक नवीन अनु० (21) जोड़ा गया है, जो यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से विधि के तहत 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा।

भारतीय संविधान के अनु० 24 के तहत कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिशेध लगाया गया है। अनु० 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है।

बाल–श्रम का निषेध करने के लिए अनुच्छेद–24 का राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य बताया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 39 (E) के अनुसार बालको के विकास का स्वास्थ एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध करना और उनकी शोषण और नैतिक तथा आर्थिक न्याय से रक्षा करना। इसके अलावा संविधान के अनु० 39(f) में प्रावधान किया गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाये तथा शैशव और किशोर अवस्था के शोषण से, नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

भारतीय संविधान के भाग–4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनु० 45 के अनुसार सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य, शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

मूल संविधान में इस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया था कि राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसार संविधान के मूल कर्त्तव्यों के अध्याय में एक अन्य खंड 51(k) जोड़ा गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता– पिता अथवा अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

भारतीय संविधान के अनु० 39 में राज्यों से बालकों के संदर्भ में की गयी नीतिगत अपेक्षाओं के क्रम में कुछ विशेषकानून अधिनियमित हुए। उदाहरण के लिए, बालक नियोजन अधिनियम, 1938, कारखाना अधिनियम, 1948य खान अधिनियम, 1952य वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958य बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966 आदि। बाल श्रम (निशेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 रूवर्तमान में 1986 का बाल श्रम (निषेध व विनियमन) अधिनियम व्यापक कानून है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने पर रोक लगाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 13 व्यवसायों व 57 प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है। जिन प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है उनमें से मुख्य हैं– बीड़ी निर्माण, कालीन नाई, सीमेन्ट विनिर्माण, वस्तु मुद्रण, माचिस, विस्फोट व आगजनी पदार्थों का विनिर्माण, अभ्रक कटाई, साबुन निर्माण, तंबाकू प्रसंस्करण आदि। अधिनियम के अंतर्गत एक तकनीकी परामर्शदात्री समिति के गठन का प्रावधान है जो बाल श्रम से संबंधित व्यवसायों के विस्तार की आवष्यकता से संबंधित सिफारिशें केन्द्र सरकार को करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में कम से कम 3 माह की सजा जो बढ़ाकर 1 वर्ष तक भी की जा सकती है, दी जा सकती है, जबकि न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत बढ़ाकर 20,000 भी किया जा सकता है, का प्रावधान भी

किया गया है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अपने–अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने का प्रयास करते हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 में कुछ संशोधन वर्ष 2006 में किये गये। इन संशोधनों के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं– 13 औद्योगिक सेक्टरों में बाल–श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है और 52 तरह के कामों को बाल श्रम (निषेध) कानून में सूचीबद्ध किया गया है। यदि इस कानून में संशोधन हो जाता है तो ये 13 औद्योगिक क्षेत्र 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को अपने यहाँ नियोजित नहीं कर सकते। यह कानून कुछ निश्चित एवं विनिर्दिष्ट जोखिम भरे कामों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है और साथ ही अन्यों के कार्य–शर्तों को नियमित करता है। इस कानून के अंतर्गत गठित बाल श्रम तकनीकी सलाह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जोखिम भरे कामों की सूची को बढ़ाया गया है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की. यह मंजूरी 28 अगस्त 2012 को दी गई. इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खतरनाक और गैर खतरनाक कामों में लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही खतरनाक उद्योगों में काम करने वालों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई है. संशोधित पूर्व अधिनियम में केवल खतरनाक उद्योग–धंधों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर प्रतिबंध था. संशोधित अधिनियम में 14–18 वर्ष के उम्र वालों को किशोरों के रूप में परिभाषित किया गया है. बाल श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी के साथ ही बाल श्रम अब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा. कानून का उल्लंघन करने वालों की अधिकतम सजा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष और जुर्माने की राशि 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई. जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार बाल श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किया गया है, जिसमें 6–15 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है. कानून बन जाने के बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कार्यस्थल पर काम नहीं कर पाएंगे.

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 भारत सरकार, *वार्षिक रिपोर्ट,* भाग 4, महिला एवं बाल– विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 1995 पृ० **96**
2 भारत सरकार, *हमारे कानून भाग –1*, महिला एवं बाल – विवाह विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (मल्टिपल एक्शन रिसर्च ग्रुप), 1992
3 एम जोजफ – भारत मे बाल श्रमिक केन्द्रीय श्रमिक षिक्षा वोर्ड, नई दिल्ली, 1996 पृ० **58**
4 मिश्रा लक्ष्मीधर – भारत मे बाल मजदूर– नाजुक बचपन मुश्किल जिम्मेदारी
5 सरोज बादल – बाल मजदूरी का अभिशाप रूकारण व निदान जागरण जोश – 29 अगस्त 2012
6 महाश्वेता देवी निर्मल घोष– भारत में बंधुआ मजदूर राधाकृष्ण प्रकाशन 1 जनवरी 1999
7 कौशिक बसु और हुआंग वान – समाचार पत्र में बाल श्रम के अर्थशास्त्र पर अमेरिकी आर्थिक समीक्षा